न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 1762/2022

UPRN180030732022

सरकार बनाम मान सिंह आदि

धारा 498 ए,323,504,506 भा०द०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
मु०अ०सं० 252/2021
थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

दिनांक – 23/06/2025

आदेश

पत्रावली सम्बन्धित लिपिक द्वारा आज पेश की गयी। अभियुक्तगण प्रद्युम्न कुमार न्यायालय उपस्थित आया।

अभियुक्तगण मानसिंह, सुखरानी व अवनीश की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण भूलवश न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका, जिस कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा गैर जमानतीय वारन्ट के आदेश को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली वास्ते आरोप नियत है। अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण भूलवश उपस्थित नहीं आ सके और गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा दर्शाया गया कारण पर्याप्त है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अभियुक्तगण द्वारा प्रत्येक को बीस हजार रुपये का निजी बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र का आदेश निरस्त किया जाता है।

अभियुक्तगण को हिदायत दी जाती है कि वह अग्रिम नियत तिथियों में या तो स्वयं या जरिए अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में न्यायालय विधिनुसार कार्यवाही करेगा।

दिनांक – 23/06/2025

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2025.06.23 12:35:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court